**सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**1250, तुलसीनगर मध्यप्रदेश भोपाल**
फेक्स. 0755–255266 ई–मेल– dpswbpl@nic.in

---

**विषय :– दिनांक 7 सितम्बर 2016 को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण।**

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के भुगतान एवं विभाग की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु **दिनांक 7 सितम्बर 2016 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एजेण्ड़ा बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया। संलग्न प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्देश दिये गये –

**1. सी.एम. हेल्पलाईन**

संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 50 से 51 तक सी.एम. हेल्पलाईन पर लंबित शिकायतों की वस्तुस्थिति बताई गई। सी.एम. हेल्पलाईन में दिनांक 07 सितम्बर 2016 को विभाग की **लेवल–4 पर 2,854 शिकायतें लंबित, 1,487 का निराकरण दर्ज, 1,357 निराकरण दर्ज** करने हेतु शेष रह गई है। लेवल 4 पर अधिकतम लंबित शिकायतों वाले 10 जिलें यथा रीवा–285, सतना–217, सागर–162, टीकमगढ–158, सिवनी–132, नरसिंहपुर–126, राजगड–116, शाजापुर–98, सीधी–98 एवं उज्जैन– 82 है।

मिशन संचालक द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से समस्त जिलों को उदाहरण स्वरुप लगभग 2 वर्ष से लंबित शिकायतों जो वर्तमान में लेवल 4 पर लंबित दिखाई दे रही है, पर जिलों द्वारा शिकायत की विरुद्ध निम्न गुणवत्ता का निराकरण दर्ज किस प्रकार दर्ज किया जा रहा है कि स्थिति से अगवत कराया। साथ ही समस्त जिलों को निर्देशित किया कि इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उन शिकायतों का कोई न्यायोचित, स्पष्ट एवं सटीक निराकरण नहीं किया गया हैं। केवल खाना पूर्ति हेतु ही निराकरण दर्ज किया जाता रहा है। ऐसी समस्त शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करवायें। निराकरण अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि शिकायतों की संख्या कम करने से कहीं अधिक गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा समस्त जिलों को वेबसाईट पर उचित एवं अन्तिम निराकरण दर्ज करने के निर्देश दिये, जिससे शिकायतें मान्य की जाकर आंशिक रुप से बंद की जा सके। गलत निराकरण दर्ज करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

**2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम**

संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 9 से 13 तक लोक सेवा गांरटी अधिनियम पर लंबित शिकायतों की वस्तुस्थिति बताई गई। दिनांक 07.09.2016 की स्थिति में विभाग में समय–सीमा से बाह्य 276 आवेदन लंबित पाये गये। अधिकतम लंबित आवेदनों वाले 10 जिले यथा बालाघाट– 57, जबलपुर–36, देवास–27, छतरपुर–25, उमरिया–24, उज्जैन–17, सागर–14, डिण्डौरी–9, विदिशा–8 एवं अलीराजपुर–8 है।

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि समय–सीमा से बाह्य समस्त आवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जाये।

**3. पेंशन हितग्राहियों के शत–प्रतिशत आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में :–**

3.1 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्देश दिये गये है कि शत–प्रतिशत पेंशन हितग्राहियों के बैंक बचत खाता, आधार एवं मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि 31 दिसम्बर 2016 तक पोर्टल पर सुनिश्चित की जाये एवं हितग्राहियों के आधार नम्बर को बैंक के खातों से लिंक किया जायें।

3.2 उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में शत–प्रतिशत पेंशन हितग्राहियों के बैंक **बचत खाता, आधार एवं मोबाईल नम्बर** की प्रविष्टि पोर्टल पर सुनिश्चित की जाये। इस हेतु म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/303/434/2016/26–2 भोपाल दिनांक 16/02/2016 एवं पत्र क्रमांक/2016/762/26–2 भोपाल दिनांक 20/05/2016 में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

3.3 उपरोक्त कार्यवाही समय–सीमा में सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 23 अगस्त 2016 को मुख्य सचिव, म.प्र. शासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

3.4 मिशन संचालक द्वारा संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 14 से 18 के माध्यम से अवगत कराया कि प्रत्येक हितग्राही के पृथक–पृथक दो प्रपत्र (प्रथम प्रपत्र– आधार नम्बर साझा करने हेतु सहमति पत्र, द्वितीय प्रपत्र– आधार नम्बर बैंक बचत खाता नम्बर से लिंक करने) को एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा समग्र पोर्टल पर जेनरेट कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्रों को समग्र पोर्टल से ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ग्राम पंचायत स्तर तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु वार्ड स्तर के यूजर द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

3.5 पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रपत्र का सत्यापन किया जाना है। प्रपत्र में कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण दर्ज है तो, **लाल स्याही** के पेन से जानकारी को प्रपत्र पर संशोधित किया जाये। अगर कोई जानकारी पूर्व से दर्ज नहीं है तो जानकारी को प्रपत्र पर दर्ज किया जाये। संशोधित/दर्ज जानकारी को समग्र पोर्टल पर भी संशोधित/दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये। आधार नम्बर, बैंक बचत खाता नम्बर से लिंक करने हेतु बैंक शाखा के साथ समन्वय कर उक्त कार्य को सम्पादित किया जाये। हितग्राही से आधार नम्बर साझा करने हेतु सहमति पत्र प्राप्त किया जाये।

3.6 संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 19 के माध्यम से आधार सीडिंग व मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि की जिलेवार समीक्षा की गई। कुल पेंशन हितग्राही 33.32 लाख पर 27.31 लाख (81.95%) हितग्राहियों को आधार नम्बर एवं 15.68 लाख (47.07%) हितग्राहियों का मोबाईल नम्बर ही समग्र पोर्टल पर प्रविष्टि किया गया है। इसी प्रकार समग्र पोर्टल पर कुल पेंशन हितग्राही 33.32 लाख पर 19.38 लाख (58.16%) हितग्राहियों का फोटो अपलोड किया गया है। जो संतोषजनक नहीं है।

3.7 पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर दर्ज करने की समस्त जिलों की अद्यतन स्थिति संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 20 से 23 के माध्यम से अवगत कराया गया। कुल पेंशन हितग्राहियों पर जिला अशोकनगर में (73.33%), रीवा (73.59%), इंदौर (73.63%), रतलाम (74.34%), अलीराजपुर (74.53%), उज्जैन (74.61%), सिंगरौली (74.89%) एवं श्योपुर (74.99%) हितग्राहियों के आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज किये गये। इसी प्रकार वे समस्त जिलें जिनके 75% से कम आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज है, जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा अप्रशन्नता व्यक्त की गई।

3.8 प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 99 प्रतिशत नागरिकों का पंजीयन आधार कार्ड हेतु किया जा चुका है। अतः यह कहना कि पेंशन हितग्राहियों के पास आधार कार्ड नहीं है, यह सही नहीं है। सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा अवगत कराया कि **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)** हेतु डीबीटी योजना अंतर्गत चिन्हित जिलें होशंगाबाद, हरदा, खण्डवा, बुरहानपुर, भोपाल एवं जबलपुर है। अतः इन जिलों में समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार समग्र पोर्टल पर दर्ज होने चाहिये थे, जो कि नहीं है। पेंशन हितग्राहियों को भौतिक सत्यापन कराया जाये, हो सकता है कि ये हितग्राही पात्र ही न हो।

3.9 संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 30 एवं 31 के माध्यम से मोबाईल नम्बर एवं फोटो अपलोड करने की जिलेवार समीक्षा की गई। सिंगरौली, ,खण्डवा, दमोह, उमरिया, अलिराजपुर एवं सीधी जिलों द्वारा 25 प्रतिशत से कम पेंशन हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर पोर्टल पर दर्ज किये गये। इसी प्रकार राजगढ, ग्वालियर, सीधी, गुना एवं अलिराजपुर जिलों द्वारा 30 प्रतिशत से कम पेंशन हितग्राहियों के फोटो समग्र पेंशन पोर्टल पर अपलोड किये गये। जिसपर प्रमुख सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की।

3.10 प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि वे 31 सितम्बर 2016 तक समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर (यदि उपलब्ध हो), पासपोर्ट साईज का फोटो व निःशक्तता प्रमाण पत्र की जानकारी को समग्र पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

**4. वित्तीय संस्थावार पेंशन हितग्राहियों की जानकारी**

4.1 प्रदेश में माह जुलाई 2016 में कुल स्वीकृत पेंशन हितग्राहियों **33,20,578** में से **30,64,561 (92%)** हितग्राहियों के बचत खाते बैंक व **2,56,017 (8%)** हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिस में दर्ज है। माह अगस्त 2016 में कुल स्वीकृत पेंशन हितग्राहियों **33,32,767** में से **31,11,711 (93%)** हितग्राहियों के बचत खाते बैंक व **2,21,056 (7%)** हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिस में दर्ज है।

4.2 **पोस्ट ऑफिस अकाउंट बाहुल्य नगरीय निकायों** से चर्चा की गई। जिला सीहोर की नगर पालिका, सीहोर (64.16**%**), जिला सतना की नगर पालिका,

मैहर(32.77%), जिला राजगढ की नगर परिषद जिरापुर (29.10%) जिला शिवपुरी की नगर परिषद, बदरवास (27.47%), जिला धार की नगर पालिका, धार (27.45%) जिला मंदसौर की नगर पालिका मंदसौर (23.80%), जिला सागर की नगर परिषद मकरोनिया (22.94%) एवं जिला उमरिया की नगर पालिका उमरिया (20.45%) पेंशन हितग्राहियों के बचत खाते पोस्ट ऑफिस में अधिकांश होने के संबंध में संबंधित जिलों के अधिकारियों इसके कारण पूछा गया, जबकि यह पूर्णतः शहरी क्षेत्र होने के कारण यहां पर्याप्त संख्या में बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं और पोस्ट ऑफिस खातों का कोई औचित्य नहीं है। जिलों द्वारा एक माह के भीतर समग्र पोर्टल पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने का आवश्सन दिया।

4.3 प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा जिलों को स्पष्ट किया गया कि स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह तय किया जाये कि पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से बैंक खातों के माध्यम से किया जाना संभव है अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। हितग्राही को 5 कि.मी. के दायरे में उपलब्ध वित्तीय संस्था के माध्यम से ही पेंशन का लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

**5. अगस्त 2016 के पेंशन प्रपोजल स्वीकृत/प्रपोजल डाउनलोड करने की स्थिति**

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा माह अगस्त 2016 के पेंशन प्रपोजल स्वीकृति/प्रपोजल डाउनलोड करने की समीक्षा की गई। जिलों की स्थिति से संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 32 से 34 के माध्यम से अवगत कराया गया। अगस्त 2016 के पेंशन प्रपोजल शत–प्रतिशत **स्वीकृत नहीं करने वाले जिलों में जिला आगर–मालवा है।** इसी प्रकार **प्रपोजल डाउनलोड नहीं करने वाले जिलों में जिला अलिराजपुर, आगर–मालवा, शिवपुरी, रीवा एवं बुरहानपुर है।** जिसके कारण पेंशन हितग्राहियों को माह के अंत तक पेंशन भुगतान संभव नहीं हो सका।

**प्रमुख सचिव महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये समस्त जिलों को निर्देश दिये की समय–सीमा का पालन सुनिश्चित करते हुये माह के अंत तक पेंशन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये।** किसी भी जिलें का पेंशन प्रपोजल स्वीकृत/प्रपोजल डाउनलोड करने से नहीं रहना चाहिए। यदि स्थानीय निकाय के स्तर पर किसी पेंशन योजना में एक भी लाभांवित हितग्राही

नहीं है, तब भी पेंशन प्रपोजल स्वीकृत करना सुनिश्चित करें। साथ ही समय–सीमा का पालन सुनिश्चित करते हुये प्रतिमाह के अंत तक पेंशन भुगातन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

## 6. आपकी पेंशन आपके द्वार

6.1 संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा अवगत कराया कि '**आपकी पेंशन आपके द्वार**' योजना अंतर्गत जिला सागर एवं विदिशा को निम्न कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे :–

- उचित मूल्य की दुकान से बैंक ब्रांच की मैपिंग।
- समस्त पेंशन हितग्राहियों के बचत खातें राशन की दुकान से लिंक बैंक ब्रांच में खुलवाना।
- बैंक द्वारा उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट/ बैंकिंग मर्चेंट बनाने हेतु एग्रिमेंट की प्रति साझा करना।
- समस्त पेंशन हितग्राहियों को डेबिट कार्ड जारी किया जाना।
- POS मशीन के माध्यम से पेंशन भुगतान की कार्यवाही करना।
- उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति ?

उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही के संबंध में जिला विदिशा द्वारा अवगत निम्नानुसार विसंगतिओं से अवगत कराया गया –

- बैंकर्स के द्वारा डेबिट कार्ड समय पर इश्यू नहीं किये जा रहे है। चूंकि यह व्यवस्था डेबिट कार्ड पर ही आधारित है, इस कारण योजना के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है।
- बैंकर्स से चर्चा करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि डेबिट कार्ड इश्यू करने के बाद उसका पिन नम्बर मोबाईल पर संदेश के रुप में आता है, परन्तु पेंशन हितग्राही अत्यधिक गरीब, वृद्ध एवं आश्रित है, सामान्य तौर पर उनके पास मोबाईल फोन उपलब्ध नहीं हैं। अतः पिन हार्डकॉपी में भेजना उचित होगा।
- सोसाईटी के सेल्समेन के खाते, बैंकों द्वारा करंट खातों के रुप में खोले जा रहें है, जिससे कि रुपये 5000/– त्रैमासिक का औसतन रखना अनिवार्य है, यह राशि अधिक होने से सेल्समेन के ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है। इस नियम से मुक्त किये जाने हेतु विभिन्न बैंकर्स को निर्देशित किया जाना उपयुक्त होगा।

संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही इस संबंध में **बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की जावेगी।**

6.2 **'आपकी पेंशन आपके द्वार'** योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर के माध्यम से करने हेतु **शहडोल संभाग के जिलों (शहडोल, अनुपपूर एवं उमरिया)** को निम्न कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे :–

- ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जाए, जहां ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक ब्रांच उपलब्ध नहीं है।

- प्रतिमाह की 5 तारीख तक पेंशन देयक कोषालय में प्रस्तुत कर पेंशन ग्राम पंचायत के खाते में हस्तांतरित करना।
- प्रत्येक माह की 10 तारीख को पेंशन वितरण किया जाना तथा जो हितग्राही 10 तारीख को किन्ही कारणों से पेंशन प्राप्त करने से वंचित रह गये हों, उन्हे माह की 15 तारीख को पेंशन भुगतान करना।

  भुगतान संबंधी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना।

**7. मोबाईल एप '' एम–पेंशन मित्र''**

7.1 मिशन संचालक द्वारा समस्त जिलों को पेंशन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, योजनाओं एवं हितग्राहियों की जानकारी को अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने के उददेश्य से एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा विकसित **''एम–पेंशन मित्र''** मोबाइल एप के संबंध में संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 37 से 47 के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रदान की। ''**एम–पेंशन मित्र**'' मोबाइल एप की मुख्यतः निम्न विशेषताएं से जिलों को अवगत कराया गया :–

- पेंशन योजनाओं की पात्रता की शर्ते
- पेंशन कैलकुलेटर (पेंशन की पात्रता जानें)
- ऑनलाईन आवेदन की सुविधा
- आवेदन का स्टेटस जानने की सुविधा
- पेंशन हितग्राही की पासबुक (पेंशन प्रोफाइल)
- पेंशन स्वीकृति आदेश
- हितग्राहियों के आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं फोटो को अपडेट करने की सुविधा
- भौतिक सत्यापन
- पोर्टल से हटाये गये हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत वार

7.2 संचालक द्वारा **मोबाईल एप ''एम–पेंशन मित्र''** के संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिला अधिकारियों से सुझाव चाहे गये। जिस पर उप संचालक, जिला विदिशा ने सुझाव दिया कि जो सुविधाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को मोबाईल एप पर दी जा रही है वे सारी सुविधाएं कलेक्टर का भी प्रदाय की जाये।

7.3 संचालक द्वारा जिलों को अवगत कराया गया कि **मोबाईल एप ''एम–पेंशन मित्र''** पर अन्य सुविधाएं भी शीघ्र प्रारंभ की जायेगी। समस्त जिला अधिकारियों के मोबाईल एप के संबंध में किसी भी प्रकार की सुविधाएं एवं सुझाव आमंत्रित है।

## 8. केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना – प्री–मेट्रिक एवं पोस्ट–मेट्रिक

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा भारत सरकार की निःशक्तजनों हेतु नवीन छात्रवृत्ति योजनाएं यथा प्री–मेट्रिक कक्षा 9वीं, 10वीं (आय सीमा 2 लाख वार्षिक) एवं पोस्ट मेट्रिक कक्षा 11 वीं एवं ऊपर (आय सीमा 2.50 लाख वार्षिक) के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 49 से 52 के माध्यम से समस्त जिलों को दी गई एवं अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

## 9. केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा SIPDA/ DDRS/ DDRC/ ADIP/ IPOP के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 53 से 61 के माध्यम से समस्त जिलों को दी गई। साथ ही जिलों को निर्देशित किया गया कि ऑनलाईन तथा हार्डकापी कलेक्टर की अनुशंसा सहित शीघ्र भेजने के निर्देश समस्त जिला अधिकारियों को दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि ऐसी स्वैच्छिक संस्था जिन्हें विभागीय मान्यता नहीं है, किन्तु उनके द्वारा ऑनलाईन पंजीयन किया गया है, के प्रस्ताव जिला स्तर से ही अमान्य किये जायें। ये प्रकरण ऑनलाईन जिला/संचालनालय स्तर पर लंबित नहीं दिखना चाहिए। संस्था का निरीक्षण जिला अधिकारी स्वंय करेंगे तथा निरीक्षण टीप में स्पष्ट अभिमत अंकित करेंगे।

## 10. निराश्रित निधि का बजट/राज्यांश

10.1 संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा जिलों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2015–16 में निराश्रित निधि की 20 प्रतिशत राशि जिला शाजापुर एवं बैतूल से अप्राप्त हुई है। वर्ष 2016–17 में 20 प्रतिशत राशि 17 जिलें यथा शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, आगर–मालवा, झाबुआ, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, अलिराजपुर, खरगौन, राजगढ़, हरदा, बैतूल, सिवनी, एवं मण्डला से अप्राप्त।

10.2 वर्ष 2016–17 में निराश्रित निधि का बजट 08 जिलों यथा सिंगरौली, सतना, डिण्डौरी, मण्डला, उज्जैन, आगर–मालवा, शाजापुर, एवं अशोकनगर से जानकारी अप्राप्त।

10.3 **समस्त कलेक्टर म.प्र. को संचालनालय के ज्ञापन क्रमांक 2075 दिनांक 2.9.2016 द्वारा निराश्रित निधि का स्थानीय स्तर पर शासकीय संपरीक्षक अथवा पंजीकृत चार्टर्ड एकॉउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन 2 माह में उपलब्ध किया जाना है।**

## 11. आटिज्म प्रमाण पत्र

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जिला अधिकारियों को आटिज्म प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न निर्देश दिये :–

- संभाग स्तर पर शिविरों का आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी।
- संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा संभागीय संयुक्त संचालकों को ऑटिज्म प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी।
- मेडिकल बोर्ड में नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुर्नवास मनोवैज्ञानिक (Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist), मनोचिकित्सक (Psychiatrist), बाल चिकित्सक/सामान्य चिकित्सक (Pediatrician or General Physician) को शामिल करने हेतु निर्देश जारी।

## 12. निरामय स्वास्थ्य बीमा

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जिला अधिकारियों को भारत सरकार की निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 66 से 67 के उल्लेखित पात्रता शर्तें एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य जानकारी से भी जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया :–

- मानसिक रुप से अविकसित एवं बहुविकलांग व्यक्तियों को 500/– रुपये की आर्थिक सहायता योजना में 55,432 हितग्राही लाभांवित है। इन सभी हितग्राहियों का निरामय बीमा किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त Autism, Cerebral Palsy के निःशक्तजनों के भी प्रकरण बनेंगे।
- राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत संस्था के माध्यम से ऑनलाईन फार्म भेजना होगा।
- निरामय बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज :–
    - निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मय फोटो
    - निःशक्तता प्रमाण पत्र
    - पते का सबूत (Address Proof)
    - यदि बीपीएल है तो बीपीएल कार्ड की छायाप्रति
- अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाये।
- संचालक द्वारा जिलों को अवगत कराया गया कि मानसिक रुप से अविकसित एवं बहुविकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निरामय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का पंजीयन एवं इस हेतु प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य स्तर से किया जाएगा। अतः जिला स्तर से प्रीमियम राशि के भुगतान की कार्यवाही न की जाए।

**12. बहुविकलांग/मानसिक रुप से अविकसित निःशक्त को आर्थिक सहायता**

संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा बहुविकलांग/मानसिक रुप से अविकसित निःशक्त को आर्थिक सहायता योजनांतर्गत जिलों को अवगत कराया गया कि कुल चिन्हांकित के विरुद्ध अत्यंत कम हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा चिन्हांकन के विरुद्ध लाभांवित हितग्राहियों की संख्या कम होने पर नाराजगी व्यक्त की साथ ही समस्त जिलों को निर्देश दिये कि शीघ्र ही चिन्हांकित बहुविकलांग/मानसिक रुप से अविकसित निःशक्तजनों का सत्यापन करें, ताकि उन्हें पेंशन योजनाओं के साथ–साथ अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ भी प्रदाय किया जा सकें।

**13. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना**

संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा जिलों को अवगत कराते हुये निर्देशित किया कि जिला मुरैना, भिण्ड, दतिया, देवास, रतलाम, आगर–मालवा, नीमच, उज्जैन, इंदौर, अलिराजपुर, झाबुआ, बडवानी, छिंदवाडा, मण्डला, सिंगरौली, उमरिया, डिण्डौरी एवं शहडोल द्वारा लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी अप्राप्त है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत दिये गये आबंटन के विरुद्ध शेष बची राशि आवश्यकता न होने पर समर्पित की जाये। ओला/सूखा अंतर्गत जिन कन्याओं के विवाह हुये है उनकी जानकारी जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, टीकमगढ, नरसिंहपुर एवं सीधी से प्राप्त है। शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है।

**14. निःशक्तजनों का चिन्हांकन व सत्यापन :–**

14.1 प्रदेश के समस्त निःशक्तजनों का चिन्हांकन व सत्यापन समग्र स्पर्श पोर्टल पर किया जाना है। समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर समग्र स्पर्श पोर्टल पर **5,05,989** निःशक्तजनों का चिन्हांकन किया गया है। चिन्हित निःशक्तजनों में से **माह अगस्त 2016 तक 3,47,439** निःशक्तजनों को सत्यापित किये गये है। माह अगस्त में **प्रगति 15,855** पोर्टल पर दर्ज की गई।

14.2 उपरोक्त निःशक्तजन विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन योजनाओं का लाभ निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही उपलब्ध कराया गया है। अतः पेंशन हितग्राहियों के निःशक्तता प्रमाण पत्र ऑफिस

रिकार्ड में अवश्य होंगे, उन निःशक्तता प्रमाण पत्र को स्केन कर पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही मेडिकल बोर्ड/कैम्प में जारी किये गये नवीन प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। कार्य में सावधानी रखी जाये क्योंकि **निःशक्तता के प्रकार** व **प्रतिशत** के आधार पर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाता है।

14.3 समस्त निःशक्तजनों के निःशक्तता प्रमाण पत्र **समग्र स्पर्श पोर्टल** (sparsh.samagra.gov.in) पर अपलोड कर सत्यापन के निर्देश कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को दिये गये हैं। समस्त जिलों की स्थिति से संलग्न प्रेजेंटेशन की स्लाईड नम्बर 73 से 78 के माध्यम से अवगत कराया गया। जिला अलिराजपुर (24.50%), हरदा (29.35%), शाजापुर (32.95%), इंदौर (33.25%), सिंगरौली (36.84%), उमरिया (37.24%), श्योपुर, अशोकनगर, आगर–मालवा, टीकमगढ, सतना एवं रतलाम जिलों द्वारा **माह अगस्त 2016 तक जिले की कुल निःशक्तजनों की संख्या का 50% से कम निःशक्तजनों का सत्यापन** पोर्टल पर किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं है।

14.4 प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये समस्त जिलों को निर्देश दिये कि 31 सितम्बर 2016 तक समस्त निःशक्तजनों का चिन्हांकन कर निःशक्तता प्रमाण पत्र समग्र स्पर्श पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापित किये जाये। विशेषकर समस्त पेंशन हितग्राही जो निःशक्त पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है उनके निःशक्तता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।

**15. तकनीकी समाधान एवं सुझाव**

तकनीकी समस्या होने पर सर्वप्रथम अपने जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. से संपर्क करें। समस्याओं के समाधान व सुझाव हेतु प्रतिदिन जिला/स्थानीय निकायों व ग्राम/वार्ड स्तर से मिशन को ई–मेल किये जाते हैं, किंतु अधिकांशतः ई–मेल का विषय व समस्या/सुझाव का विस्तृत लेख नहीं होने व ई–मेल भेजने वाले का नाम व दूरभाष नहीं होने के कारण समय–सीमा

में कुछ प्रकरणों का समाधान नहीं हो पाता है। अतः मिशन को ई–मेल करते समय विस्तृत जानकारी अवश्य उपलब्ध करावें। समस्या के समाधान व सुझाव हेतु मिशन के ई–मेल (mdcmsssm@gmail.com) पर मेल करें या मिशन के दूरभाष नम्बर 0755–2555700 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

**(कार्यवाही विवरण प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित)**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

**(अजीत कुमार)**
संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण भोपाल मध्यप्रदेश

**पृ. क्रमांक/समग्र/2016/56/601** **भोपाल, दिनांक 24 /09/2016**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक संचालक मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री सुनील जैन तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. भोपाल म.प्र.।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.।
9. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. म.प्र.।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र.।
11. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद म.प्र.।

**संचालक**
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण,भोपाल म.प्र.